न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 531/2019

अनवान : –

1. कमला उर्फ मैना पुत्री रामसिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह उर्फ पपुसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 9 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादीया

बनाम्

1. भानसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन चक 2 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
3. हरिसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन चक 2 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. मनीराम पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन चक 2 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. बिमला पुत्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
6. पुष्पा पुत्री रामसिंह पत्नी रूपसिंह जाति राजपुत साकिन शारदा कालेज के पास अनुपगढ़ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. तारा पुत्री रामसिंह पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत साकिन वार्ड न0 9 अनुपगढ़ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. गुडडी देवी पत्नी कानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
9. चान्दू पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
10. अन्जु पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
11. सुमन पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
12. रघुवीर पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

<u>**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**</u>

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **वादीया**

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

<u>**निर्णय**</u> दिनांक: 20/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 25 जेएसएन तहसील नोहर [illegible] 73 के खाता संख्या 86/81 की कुल 27.830 हैक्ट भूमि में से 16–1[illegible] [illegible]सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रायसिंह पुत्र छतुसिंह का देहान्त हो चुका है रायसिंह पुत्र छतुसिंह के जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 एवं कानसिंह पुत्र रामसिंह कुल 9 वारिस है कानसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख 8 ता 12 है। रामसिंह पुत्र छतुसिंह ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि की एक वसीयत दिनांक 21.10.2002 को अपनी पुत्री वादीया के पक्ष में लिख दी थी रामसिंह पुत्र छतुसिंह का देहान्त हो चुका है बाद फौतदगी वादीया विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार हो चुकी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में 16–16/45 हिस्सा भूमि दर्ज नही होने के कारण वादीया के खातेदारी हकूक का हनन हो रहा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया की रोही मौजा 25 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 87/86 की कुल 26.363 हैक्ट भूमि में से रामसिंह पुत्र छतुसिंह के नाम दर्ज 1381/131815 हिस्सा भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व जमाबंदी में वादीया के पिता का नाम रायसिंह पुत्र छतुसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र छतुसिंह दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है। वादीया ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि की वादीया के पक्ष में वसीयत की गई थी मुताबिक वसीयत वादीया उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादीगण ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में तर्क कर दिया है, वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा [illegible] आ चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है [illegible] डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Gathwal
Date: 2024.05.22 19:20:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 25 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 87/86 की कुल 26.363 हैक्ट भूमि में से रामसिंह पुत्र छतुसिंह के नाम दर्ज 1381/131815 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 25 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 87/86 की कुल 26.363 हैक्ट भूमि में से रामसिंह पुत्र छतुसिंह के नाम दर्ज 1381/131815 हिस्सा भूमि में रायसिंह उर्फ रामसिंह पुत्र छतुसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:24 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 531/2019

अनवान : –

1. कमला उर्फ मैना पुत्री रामसिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह उर्फ पपुसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 9 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादीया

बनाम्

1. भानसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन चक 2 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
3. हरिसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन चक 2 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. मनीराम पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन चक 2 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. बिमला पुत्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
6. पुष्पा पुत्री रामसिंह पत्नी रूपसिंह जाति राजपुत साकिन शारदा कालेज के पास अनुपगढ़ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. तारा पुत्री रामसिंह पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत साकिन वार्ड न0 9 अनुपगढ़ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. गुडडी देवी पत्नी कानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
9. चान्दू पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
10. अन्जु पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
11. सुमन पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
12. रघुवीर पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16 बीएलडी रामसिंहपुर तहसील अनुपगढ़ जिला श्रींगगानगर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 531 सन 2019 निर्णय दिनांक -20/5/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री हवासिंह पुनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 25 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 87/86 की कुल 26.363 हैक्ट भूमि में से रामसिंह पुत्र छतुसिंह के नाम दर्ज 1381/131815 हिस्सा भूमि में रायसिंह उर्फ रामसिंह पुत्र छतुसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान आपना आपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:24 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर